न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 36/2018

1.श्री रामेश्वर पुत्र श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग ।
2.मीरा पुत्री श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग ।
3.कमला पुत्री श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग ।
4.सायरी पुत्री श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग ।
5.मना पुत्री श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग ।
6.श्रीमति सोहनी पत्नि श्री चौथू जाति रेगर उम्र बालिग
समस्त साकिन केसरपुरा तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

.........प्रार्थी

बनाम

1.श्री लालाराम पुत्र श्री नारायण जाति रेगर उम्र बालिग ।
2.श्री जगदीश पुत्र गोपी जाति रेगर उम्र बालिग ।
3.श्री भागू पुत्र गोकल जाति रेगर उम्र बालिग ।
4.श्री सुवा पुत्र लादू जाति रेगर उम्र बालिग ।
5.श्री नारू पुत्र रामप्रसाद जाति रेगर उम्र बालिग
समस्त साकिन केसरपुरा तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.............अप्रार्थिगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव 111 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियॉ तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 03–09–00 व 275 रकबा 00–10–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतःनियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियॉ की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 164 में खसरा नम्बर 259 रकबा 03–09–00 व 275 रकबा 00–10–00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियॉ स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 03–09–00 व 275 रकबा 00–10–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.11 16:02:41 IST
Reason: SelfAttested